<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>
<u>1/08/2026</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), अगरतला उप-आंचलिक कार्यालय ने त्रिपुरा राज्य में संचालित एक अवैध आईपीएल/क्रिकेट सट्टेबाजी सिंडिकेट से संबंधित प्रकरण में, धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत दिनांक 31.07.2026 के अनंतिम कुर्की आदेश के माध्यम से लगभग **1.05 करोड़ रुपये** मूल्य की चल एवं अचल परिसंपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई परिसंपत्तियों में नौ अचल संपत्तियाँ तथा बैंक खातों में उपलब्ध शेष राशियाँ सम्मिलित हैं, जो अभियुक्त एवं उसकी पत्नी के नाम पर धारित हैं।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत जाँच की शुरुआत प्रसेनजीत पॉल एवं लक्ष्मण पॉल के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता, 1860 तथा त्रिपुरा जुआ अधिनियम, 1926 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत त्रिपुरा पुलिस (अमतली पुलिस थाना) द्वारा दर्ज प्राथमिकी (एफआईआर) के आधार पर की। उक्त एफआईआर त्रिपुरा पुलिस द्वारा दिनांक 11.05.2023 को प्रसेनजीत पॉल के आवासीय परिसर में की गई तलाशी के आधार पर दर्ज की गई थी, जिसके दौरान 93 लाख रुपये की नकदी, एक लैपटॉप, मोबाइल फोन, चार डेबिट कार्ड तथा सट्टेबाजी के लेन-देन से संबंधित प्रविष्टियों वाली 17 नोटबुकें बरामद की गई थीं।

धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत की गई जाँच से यह उजागर हुआ है कि प्रसेनजीत पॉल अपने मामा लक्ष्मण पॉल तथा अन्य सहयोगियों के साथ मिलीभगत कर आईपीएल एवं अन्य क्रिकेट मैचों पर अवैध सट्टेबाजी के एक संगठित सिंडिकेट का संचालन कर रहा था। प्राथमिकी (एफआईआर) में नामजद सह-अभियुक्त लक्ष्मण पॉल पर आरोप है कि उसने उक्त अवैध सट्टेबाजी गतिविधियों के संचालन तथा गिरफ्तारी से बचने में प्रसेनजीत पॉल की सहायता की। जाँच से आगे यह भी उजागर हुआ है कि लक्ष्मण पॉल ने अपनी पत्नी श्रीमती झूमा डे पॉल, जिनके नाम पर वह अनेक बैंक खातों का संचालन एवं नियंत्रण करता था, के साथ मिलकर करोड़ों रुपये की भारी नकद जमा राशि तथा अनेक अचल संपत्तियाँ अर्जित कीं, जिनके संबंध में वैध आय का कोई उद्घोषित अथवा प्रलेखित स्रोत उपलब्ध नहीं है।

यह इस प्रकरण में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जारी किया गया दूसरा अनंतिम कुर्की आदेश है। इससे पूर्व दिनांक 16.03.2026 के अनंतिम कुर्की आदेश के माध्यम से प्रसेनजीत पॉल तथा उसकी माता के नाम

पर धारित परिसंपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया गया था। वर्तमान आदेश के अंतर्गत कुर्क की गई परिसंपत्तियों में पश्चिम त्रिपुरा में स्थित कृषि एवं आवासीय भूमि के नौ अचल भू-खंड तथा पश्चिम बंगाल के कोलकाता स्थित एक संपत्ति, जिन्हें मुख्यतः नकद भुगतान के माध्यम से क्रय किया गया था, के साथ-साथ बैंक खातों में उपलब्ध शेषराशियाँ सम्मिलित हैं। ये सभी परिसंपत्तियाँ लक्ष्मण पॉल तथा श्रीमती झूमा डे पॉल के नाम पर धारित हैं।

वर्तमान आदेश के साथ, इस प्रकरण में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दिनांक 16.03.2026 के पूर्ववर्ती अनंतिम कुर्की आदेश के माध्यम से कुर्क की गई नकदी, अचल परिसंपत्तियों एवं बैंक शेषराशियों सहित अपराध से अर्जित आय (Proceeds of Crime) के रूप में अब तक अनंतिम रूप से कुर्क की गई परिसंपत्तियों का कुल मूल्य लगभग **2.43 करोड़ रुपये** है।

आगे की जांच जारी है।